

# Weekly Islam Journal





# Weekly Islam Journal

Bismillah-ir-Rahman-ir-Raheem: In the name of  
Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

Date: 21 December 2025

Week No: 3

Every Sunday

Editor: Adv. Amir Khan

Published by Juridica Laws Agency (OPC) Pvt. Ltd.

Website: [www.jlaws.in](http://www.jlaws.in)



# Purpose Of Weekly Islam Journal/ वीकली इस्लाम जर्नल का उद्देश्य/ ویکی اسلام جرنل کا مقصد

ویکی اسلام جرنل کا مقصد مسلمانوں کو سیدھے راستے یعنی صراطِ مستقیم کی طرف بلانا ہے، اور غیر مسلموں کو اسلام کے صحیح پیغام سے آگاہ کرنا اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔

The purpose of Weekly Islam Journal is to call Muslims towards the straight path i.e. Siratal Mustakeem and to make Non-Muslims aware about the true message of Islam & to remove their misconceptions.

वीकली इस्लाम जर्नल का उद्देश्य मुसलमानों को सीधा रास्ता, अर्थात् सिरातुल मुस्तक़ीम, की ओर बुलाना है और ग़ैर—मुसलमानों को इस्लाम के सच्चे संदेश से परिचित कराना तथा उनकी गलतफ़हमियों को दूर करना है।

# Table of Contents

01

## Quran Section

This Section include Tafseer of Ayat of Quran on Halat E Hajra

03

## Darse Seerat E Nabwi

This Section covers the lifestyle and Sunnah of Prophet Muhammad SAW (PBUH)

02

## Hadith Section

This Section include Explanation of Hadith on Halat E Hajra & about the coming of Dajjal

04

## Current Issue & Weekly message for Ummah

This Section covers the Current Issues & situation of the Muslim Ummah throughout the world & solution of these problems in the light of Quran & Hadith

01

# Dars E Quran (Quran Section)

Ayat of the Week:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“I seek refuge in Allah from the accursed devil.”

“In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

سوره ال عمران (102)

# Translation of the Ayat

ऐ ईमान वालों! अल्लाह से ऐसा डर रखो जैसा उससे डरने का हक़ है, और मौत तुम्हें  
सिर्फ़ मुसलमान की हालत में ही आए।

**सूरह: आले-इमरान-आयत संख्या: 3:102**

# Tafseer of the Ayat

“अर्थात् मृत्यु तक अल्लाह की आज्ञापालन और वफ़ादारी पर  
क्रायम रहो”

सूरह: आले-इमरान-आयत संख्या: **3:102**



02

# Dars E Hadees (Hadith Section)

Hadees of the Week:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

صحیح بخاری 5827

हज़रत अबू ज़र (रज़ि०) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

“जिस व्यक्ति ने यह इकरार किया कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, फिर वह इसी विश्वास पर मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो वह जन्नत में दाख़िल होगा।”

# Current Issue & Weekly message for Ummah

## 6 दिसंबर : मुस्लिम उम्मत के लिए एक काला दिन

6 दिसंबर 1992 को मुस्लिम उम्मत के इतिहास में, विशेष रूप से भारत में, एक काले दिन के रूप में याद किया जाता है। इसी दिन 1992 में अयोध्या (फ़ैज़ाबाद) स्थित बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया—यह ऐसा कृत्य था जिसने लाखों मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुँचाई और धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक मूल्यों तथा कानून के शासन की नींव को झकझोर कर रख दिया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहाकर मुस्लिम उम्मत के सीने में खंजर घोंप दिया गया, और उसका खून आज तक रिस रहा है।

बाबरी मस्जिद केवल ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं थी; वह आस्था, इतिहास और सह-अस्तित्व का प्रतीक थी। इसका विध्वंस राज्य की मशीनरी की मौजूदगी में किया गया, फिर भी इसे रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।

यह विफलता लोकतांत्रिक शासन में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हुई और इस बात को उजागर किया कि जब संस्थाएँ मौन रहती हैं, तो भीड़ की मानसिकता किस तरह न्याय पर हावी हो सकती है।

- मुस्लिम उम्मत के लिए **6** दिसंबर एक याद दिलाने वाला दिन है—
- अन्याय और उत्पीड़न
- संवैधानिक गारंटियों के साथ विश्वासघात
- खोई हुई विरासत का दर्द
- एकता, धैर्य और दृढ़ता (सब्र) का महत्व

## बाबरी मस्जिद का इतिहास:

मस्जिद का निर्माण **(1528–29)**: मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने वर्ष **1528** में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। यह मस्जिद मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर बनाई गई थी।

during communal riots in 1934 which were triggered off by the slaughter of a cow in the village of Shahjahanpur near Ayodhya on 27 March that year. According to available documents, Hindus demolished the domes, one of which had a large hole. However, the mosque was rebuilt and reconditioned at the cost of the government through a Muslim contractor.'

An inquiry was conducted in 1936 by the then Commissioner of Waqfs under the UP Muslims Waqfs Act, and it was held that the Babri Masjid was built by Babur who was a Sunni Muslim. The report was published in the official gazette dated 20 February 1944. This was found in the 1945 litigation between the Shia Central Board of Waqfs and the Sunni Central Board of Waqfs in the court of the Civil Judge, Faizabad. The Civil Judge, S.A. Ahsan, in his judgement dated 23 March 1946, held that the mosque was founded by Babur Shah and that evidence showed that the mosque has been used by the members of both sects.

The mosque and its appurtenant land, a graveyard known as Ganj-e-Shaheedan Qabristan, were registered as Waqf no. 26 Faizabad with the UP Sunni Central Board of Waqfs under the Act of 1936. The Shias contended that Mir Baqi was a Shia and the Mutawalliship devolved on his descendants. However, both sects prayed in the mosque. The last Imam of Babri Masjid (Maulana Haji Abdul Gaffar), who led the last

## 1850 के दशक में विवाद का उदय (Rise of Conflict in the 1850s):

धार्मिक तनाव उभरते हैं — 1850 के दशक में, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान, बाबरी मस्जिद स्थल के आसपास धार्मिक तनाव सामने आने लगे। कुछ हिंदू समूहों ने यह दावा किया कि मस्जिद भगवान राम के जन्मस्थान (राम जन्मभूमि) पर बनी है। इन दावों को पहचान और व्यापक चर्चा केवल औपनिवेशिक काल में मिली, न कि मध्यकालीन या प्रारंभिक मुगल काल के अभिलेखों में।

## 1853–1855 की दंगाएँ

- 1853 और 1855 के बीच, अयोध्या में सांप्रदायिक झड़पें हुईं
- हिंदू साधु (विशेषकर निर्मोही अखाड़ा) और मुस्लिम निवासी मस्जिद के पास पूजा के अधिकार को लेकर विवाद में शामिल थे।
- 1855 में हिंसा भड़की, जिससे मुख्य रूप से मुसलमानों के बीच हताहत हुए।
- अशांति के बावजूद, मुसलमान बाबरी मस्जिद के अंदर नमाज अदा करना जारी रखते रहे।

## ब्रिटिश हस्तक्षेप (1859)

### रेलिंग/बाड़ का निर्माण

अधिक हिंसा को रोकने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ब्रिटिश प्रशासन ने 1859 में हस्तक्षेप किया।

ब्रिटिशों ने बाबरी मस्जिद परिसर के चारों ओर एक रेलिंग (बाड़) बनाई।

## पूजा स्थलों का पृथक्करण

1. मुसलमानों को मस्जिद के भीतर नमाज़ अदा करने की अनुमति दी गई।
2. हिंदुओं को बाहरी आंगन में पूजा करने की अनुमति दी गई, जहाँ राम चबूतरा नामक एक मंच स्थित था।
3. इस व्यवस्था के तहत दोनों समुदायों के पूजा स्थलों को प्रभावी रूप से अलग कर दिया गया।

## कानूनी और प्रशासनिक मान्यता

- ब्रिटिश राजस्व और न्यायिक अभिलेखों में बाबरी मस्जिद को एक मस्जिद के रूप में मान्यता दी गई।
- साथ ही, बाहरी आंगन में हिंदुओं की पूजा को प्रशासनिक रूप से अनुमति दी गई थी, यह स्वामित्व पर आधारित नहीं थी।
- यह समझौता स्वामित्व के निपटारे के लिए नहीं, बल्कि अस्थायी रूप से शांति बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था।

## 1859 की व्यवस्था का महत्व

- ब्रिटिश निर्णय ने पहुँच को आधिकारिक रूप से विभाजित करके इस विवाद को संस्थागत रूप दे दिया।
- हालाँकि इससे तत्काल हिंसा में कमी आई, लेकिन इसने संघर्ष को स्थिर कर दिया, जिससे परस्पर विरोधी दावे बने रहे।
- यह व्यवस्था लगभग 90 वर्षों तक largely अपरिवर्तित रही, 1949 की घटनाओं तक (जब मस्जिद के भीतर मूर्तियों की स्थापना की गई)।

LIVELAW.IN

CIVIL APPEAL NOS  
10866-10867 OF 2010



According to them, prayers were uninterruptedly offered in the mosque until 23 December 1949 when a group of Hindus desecrated it by placing idols within the precincts of its three-domed structure with the intent to destroy, damage and defile the Islamic religious structure. The Sunni Central Waqf

According to them, prayers were uninterruptedly offered in the mosque until 23 December 1949 when a group of Hindus desecrated it by placing idols within the precincts of its three-domed structure with the intent to destroy, damage and defile the Islamic religious structure. The Sunni Central Waqf

## ऐतिहासिक महत्व

- बाबरी मस्जिद विवाद की उत्पत्ति प्राचीन काल में नहीं हुई थी, बल्कि यह ब्रिटिश शासन के दौरान तीव्र हुआ। इसका अर्थ है कि बाबरी मस्जिद का विवाद प्रारंभ से मौजूद नहीं था, बल्कि यह एक आरोपित राजनीतिक एजेंडे के रूप में उभरा।
- धार्मिक समुदायों को अलग-अलग तरीके से प्रबंधित करने की औपनिवेशिक नीतियों ने दीर्घकालिक सांप्रदायिक तनावों को जन्म दिया।
- 1850 के दशक और 1859 की घटनाओं ने आगे चलकर कानूनी संघर्षों, राजनीतिक लामबंदी और अंततः 1992 की त्रासदी की नींव रखी।

### मस्जिद में मूर्तियों की स्थापना (1949):

मूल रूप से बाबरी मस्जिद के परिसर में कोई मूर्तियाँ मौजूद नहीं थीं। दिसंबर 1949 में हिंदू कार्यकर्ताओं/कट्टरपंथियों द्वारा मस्जिद के भीतर मूर्तियाँ स्थापित की गईं। इसके बाद स्थल को ताला लगा दिया गया, लेकिन बाद में एक साइड दरवाजे के माध्यम से हिंदू पूजा की अनुमति दे दी गई।


### कानूनी मुकदमे (1950–1960 का दशक):

हिंदू पक्षों द्वारा पूजा के अधिकार की मांग को लेकर मुकदमे दायर किए गए, जबकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कब्जे (स्वामित्व/अधिकार) के लिए वाद दायर किया।

JAN 16, 1950

Gopal Singh Visharad files a case in the court of the civil judge,


Source- [www.outlookindia.com](http://www.outlookindia.com)



1959

The Nirmohi Akhara filed a suit in 1959 for possession of the entire property both inner and outer courtyards

Source- [indianexpress.com](http://indianexpress.com)



18 DECEMBER 1961

Sunni Central Waqf Board along with all those defendants named in the earlier suits, filed the fourth suit in the court of civil judge, Faizabad, praying for removal of idols and handing over the possession of mosque

Source- [indiatimes.com](http://indiatimes.com)

Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board

Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board  
An e-Governance initiative under the auspices of Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board



Waqf

Chairman & Members

Organization Structure

Messages

WAMM

Auqaf Registration

Waqf Rule

Waqf-Board



# SUPREME COURT OF INDIA

On 1 April 1950, a Court Commissioner was appointed in Suit 1 to prepare a map of the disputed premises. On 25 June 1950, the Commissioner submitted a report, together with two site plans of the disputed premises

was dismissed by the High Court of Allahabad.

14. On 5 December 1950, another suit was instituted by Paramhans Ramchandra Das<sup>7</sup> ("Suit 2") before the Civil Judge, Faizabad seeking reliefs similar to those in Suit 1. Suit 2 was subsequently withdrawn on 18 September 1990.

15. On 1 April 1950, a Court Commissioner was appointed in Suit 1 to prepare a map of the disputed premises. On 25 June 1950, the Commissioner submitted a report, together with two site plans of the disputed premises which were numbered as Plan nos 1 and 2 to the Trial Court. Both the report and maps

<sup>5</sup> Regular Suit No 2 of 1950. Subsequently renumbered as Other Original Suit (OOS) No 1 of 1989.

<sup>6</sup> FAFO No 154 of 1951

<sup>7</sup> Regular Suit no 25 of 1950 (subsequently renumbered as Other Original Suit (OOS) No 2 of 1989)

## 1980 के दशक की लामबंदी: वीएचपी-भाजपा आंदोलन

1980 के दशक में, विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बढ़ते राजनीतिक समर्थन के साथ बाबरी मस्जिद स्थल को "पुनः प्राप्त" करने और वहाँ राम मंदिर निर्माण के उद्देश्य से एक जन आंदोलन शुरू किया। इस अभियान में स्थल को राम जन्मभूमि के रूप में प्रस्तुत किया गया और धार्मिक जुलूसों, सार्वजनिक सभाओं तथा देशव्यापी लामबंदी के माध्यम से समर्थन जुटाया गया। इस आंदोलन ने एक लंबे समय से चले आ रहे कानूनी विवाद को एक बड़े राजनीतिक और सांप्रदायिक मुद्दे में बदल दिया, जिससे समाज में तीव्र ध्रुवीकरण हुआ और 1980 के दशक के उत्तरार्ध तथा 1990 के दशक की शुरुआत में टकराव की पृष्ठभूमि तैयार हुई।

### LONGEST RUNNING LEGAL SUIT IN INDIA

OCT 01, 2010

VHP began a campaign to build a Ram temple at the disputed site in 1984.

In 1986, VHP formed the Ramjanmabhoomi Nyas while prominent Muslim leaders formed the Babri Masjid Action Committee.



VHP started Ram-Janaki Rath Yatra from Sitamarhi to Ayodhya to Lucknow to Delhi for mass awakening in October 1984. The Yatra had, however, to be withdrawn for a year due to unfortunate developments in the country that year. Rath Yatras restarted in October 1985 for mass awakening and with a demand to open the locks. The Hindu society was so charged and exercised by these Rath Yatras that the District

## सितंबर 1990:

भाजपा नेता एल. के. आडवाणी ने मंदिर निर्माण के समर्थन में जनसमर्थन जुटाने के लिए “राम रथ यात्रा” (तीर्थयात्रा/जुलूस) की शुरुआत की, जिसके परिणामस्वरूप भारत के विभिन्न शहरों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे।

twenty-seven percent of government jobs would be reserved for people from Other Backward Class. This announcement threatened the electoral constituency of the BJP, which decided to use the Ayodhya dispute to unite the Hindu vote by mobilising anti-Muslim sentiment.<sup>[1]</sup>

In order to further this movement, the BJP announced a *rath yatra*, or "chariot journey" across Ayodhya. The procession was led by L. K. Advani, and involved thousands of *kar sevaks*, or volunteers from the Sangh Parivar. The *yatra* began in Somnath on 25 September 1990, and passed through hundreds of villages and cities. It traveled approximately 300 kilometers a day, and Advani often addressed six public rallies in a single day. The *yatra* caused an outpouring of both religious and militant sentiments among Hindus, and became one of India's biggest mass movements.<sup>[2]</sup>

The *yatra* also triggered religious violence in its wake, with riots in cities across North India. As a result, Advani was arrested by the government of Bihar as the *yatra* passed through that state, and 150,000 of his supporters were also arrested by the government of Uttar Pradesh. Tens of thousands of activists nonetheless reached Ayodhya and attempted to storm the mosque, resulting in a pitched battle with security forces which left 20 dead. These events caused further Hindu-Muslim riots to break out across the country, in which hundreds were killed.<sup>[3]</sup> Muslims were often the victims of these riots, particularly in the state of Uttar Pradesh. Following these riots, the BJP withdrew its support to the Union government, leading to early parliamentary elections. The BJP made significant gains in these elections, both at the national and the state level, on the back of religious polarisation caused by the *yatra*.

beginning in Somnath on 25 September 1990 and ending in Ayodhya on 30 October 1990


Date	25 September
------	--------------



# बाबरी मस्जिद की तैयारी और विध्वंस

विध्वंस से एक दिन पहले अयोध्या के हिंदू धाम में आरएसएस-वीएचपी-बजरंग दल द्वारा संयुक्त रूप से एक गुप्त बैठक आयोजित की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह घटना आकस्मिक नहीं थी, बल्कि पूर्व-नियोजित थी।

स्थल पर वीएचपी और भाजपा द्वारा आयोजित एक रैली, जिसमें लगभग 1,50,000 कार सेवक (कार्यकर्ता) शामिल थे, हिंसक हो गई।




## KAR SEVAK (कारसेवक)

A KAR SEVAK IS SOMEONE WHO OFFERS SERVICES FOR FREE TO A RELIGIOUS CAUSE. THE TERM IS DERIVED FROM THE SANSKRIT WORDS KAR (HAND) AND SEVAK (SERVANT).

# बाबरी मस्जिद का विध्वंस कांड: 6 दिसंबर 1992

भीड़ ने सुरक्षा व्यवस्था को भेदते हुए कुल्हाड़ियों, हथौड़ों और लोहे के हुकों का उपयोग कर कुछ ही घंटों में 16वीं शताब्दी की मस्जिद को ध्वस्त कर दिया।

1 दिसंबर 1992 को अयोध्या (फ़ैज़ाबाद) में कार सेवकों की एक बहुत बड़ी संख्या (लगभग 75,000 से 1,50,000) मौजूद थी।



11.30 a.m. A teenager scales the protective steel railing like a circus acrobat and, despite the steep angle, reaches the top of one of the three domes.

Source- [www.indiatoday.in](http://www.indiatoday.in)

to their leaders  
come back). As  
ected, the appeal  
unheeded.  
ad, there is a  
our of voices,  
ting the kar  
ts to rush to the  
with chisels,

Source- [www.indiatoday.in](http://www.indiatoday.in)

1.55 p.m. The first dome collapses in a cloud of dust

huge cavities on  
er side of its base  
le clearly from  
a mile away

cavities on either side  
of its base visible

3.30 p.m. The second dome gives way under the ferocity of the onslaught.

Source- [www.indiatoday.in](http://www.indiatoday.in)

4.49 p.m. Kar sevaks form a human chain and use long wooden poles to repeatedly attack at the base of the middle dome from two sides until it comes crashing down.

A red cloud of dust settles on the rubble, all that remains of the Ram Jangmaharaj Dab...

6 दिसंबर 1992 को शाम 6 बजे केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया।  
बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद पूरे भारत के कई हिस्सों में दंगे भड़क उठे, जिनमें लगभग 2000 लोगों की जान चली गई।

6:00 PM: The Union cabinet imposes President's Rule in Uttar Pradesh.

The Union cabinet imposes President's Rule in Uttar Pradesh. Kalyan Singh resigns. Idols placed at the original spot. Construction of makeshift temple begins. The Union cabinet imposes President's Rule in Uttar Pradesh. Kalyan Singh resigns. Idols placed at the original spot. Construction of makeshift temple begins.



## Babri Masjid demolition: December 6, 1992

**Around 2,000 people were killed across India in riots that followed the demolition.**

Government of this overwhelmingly Muslim nation closed offices and schools. Muslims attacked more than 30 Hindu temples across Pakistan.

## बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद की घटनाएँ:

6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद, दो अलग-अलग एफआईआर के माध्यम से अपराध संख्या 197/1992 और 198/1992 के तहत दो मामले राम जन्मभूमि थाना, अयोध्या (फ़ैजाबाद) में दर्ज किए गए।

DECEMBER 6, 1992 | On the day of demolition of Babri Mosque, two cases – crime number

197/1992 and crime number 198/1992 registered through two different FIRs lodged at Ram

Janmabhoomi police station, Ayodhya. During investigation, 47 more FIRs were lodged.

**DECEMBER 6, 1992 | On the day of demolition of Babri Mosque, two cases – crime number 197/1992 and crime number 198/1992 registered through two different FIRs lodged at Ram Janmabhoomi police station, Ayodhya. During investigation, 47 more FIRs were lodged.**

# 1992: लिबरहान आयोग का गठन

आयोग की रिपोर्ट वर्ष 2009 में न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में वरिष्ठ भाजपा नेताओं एल. के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के साथ-साथ आरएसएस और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं की संलिप्तता को उजागर किया गया।


In 1992, the Liberhan Commission was set up to probe the sequence of events that led to the Babri Masjid demolition.

The report was submitted in court in 2009, to the then Prime Minister Manmohan Singh. The report highlighted the involvement of senior BJP leaders LK Advani, Murli Manohar Joshi and Uma Bharti, senior RSS and BJP leaders, and the then Uttar Pradesh government reported in The Indian Express.



किस आधार पर कहा जा सकता है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस पूर्व-नियोजित था: खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टें, राज्यसभा की आधिकारिक रिपोर्टें, तथा इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख (मालॉय कृष्ण धर) की पुस्तक।

जनवरी 1992 में प्रधान सचिव (गृह) ने रिपोर्ट दी थी कि हटाए गए अवरोध (बैरिकेड्स) को आवश्यकता पड़ने पर तुरंत फिर से खड़ा किया जा सकता है। लेकिन वास्तव में ऐसा कभी नहीं किया गया। इस प्रकार अवरोध हटा दिए गए और उन्हें दोबारा स्थापित नहीं किया गया। बैरिकेड्स और बाड़ को हटाने की प्रक्रिया वर्ष 1992 में शुरू हुई, अर्थात् जनवरी 1992 में ही उन्हें हटा दिया गया था।



मार्च 2005 में, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख मालॉय कृष्ण धर ने दावा किया कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), भाजपा और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के शीर्ष नेताओं द्वारा लगभग 10 महीने पहले से ही योजनाबद्ध किया गया था।

## Demolition of the Babri Masjid



In a March 2005 book, former Intelligence Bureau head Maloy Krishna Dhar claimed that the Babri mosque demolition was planned 10 months in advance by top leaders of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), BJP and VHP, and criticised the manner in which the then Prime Minister P. V. Narasimha Rao handled the issue. The RSS, BJP, VHP and the Bajrang Dal leaders present in the meeting amply agreed to work in a well-orchestrated manner." Claiming that the tapes of the meeting were personally handed over by him to his boss, he asserts that he has no doubts that his boss had shared the contents with the Prime Minister (Rao) and the Home Minister (Shankarrao Chavan).

LIAMENTA  
ORT CONT

ncipal Sec  
Decembe  
immedi  
"So, b  
nd fe  
nov

पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख मालॉय कृष्णा धर द्वारा अपने बॉस को टेप जमा कराने से यह स्पष्ट होता है कि यह पूरा घटनाक्रम, जो होने वाला था, तब के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव और गृहमंत्री (शंकर राव चव्हाण) के ज्ञान में था, लेकिन उन्होंने इसे रोकने की कोशिश नहीं की।

## Demolition of the Babri Masjid



In a March 2005 book, former Intelligence Bureau head Maloy Krishna Dhar claimed that the Babri mosque demolition was planned 10 months in advance by top leaders of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), BJP and VHP, and criticised the manner in which the then Prime Minister P. V. Narasimha Rao handled the issue. The RSS, BJP, VHP and the Bajrang Dal leaders present in the meeting amply agreed to work in a well-orchestrated manner." Claiming that the tapes of the meeting were personally handed over by him to his boss, he asserts that he has no doubts that his boss had shared the contents with the Prime Minister (Rao) and the Home Minister (Shankarrao Chavan).

LIAMENTA  
ORT CONT

ncipal Sec  
Decembe  
immedi  
"So, h  
nd fe  
nov

1992 में कल्याण सिंह (पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश) ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा जमा किया था कि बाबरी मस्जिद की सुरक्षा की जाएगी। सबसे बड़ा सभा समारोह 6 दिसंबर 1992 के लिए योजनाबद्ध था। मंदिर शहर के सभी प्रवेश मार्ग सील कर दिए गए थे, लेकिन मंदिर प्रेमी 'प्रतीकात्मक कर सेवा' के लिए कुछ दिन पहले ही पहुँच गए। यह दिखाता है कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस को रोका जा सकता था, लेकिन उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की।

HT Hindustan Times

## BABRI MASJID DEMOLITION CASE



Kalyan Singh submitted an affidavit in the Supreme Court that Babri Masjid will be protected. The biggest congregation was planned for December 6, 1992. All entries to the temple town were sealed, but temple enthusiasts reached days before for 'symbolic kar sewa'.

Intelligence official recalls the original Babri sting operation he pulled off 22 years ago



Maloy Krishna Dhar


In February 1992, a top Intelligence Bureau man had bugged a room in which senior Sangh Parivar leaders met to discuss plans to demolish Ayodhya shrine.



## इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मामला:

1989 में, सभी संबंधित मुकदमे सुनवाई के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में स्थानांतरित कर दिए गए। उच्च न्यायालय ने बाद में 2010 में अपना फैसला सुनाया। 2010 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बाँट दिया:

1. एक हिस्सा राम लल्ला (हिंदू पक्षों) के लिए।
2. एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा के लिए।
3. एक हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड के लिए—  
अंतरिम प्रबंध के रूप में, जबकि सुप्रीम कोर्ट में अपील की अनुमति दी गई।



The screenshot shows a news article from the website 'BAR & BENCH'. The article is titled 'Ayodhya: Allahabad High Court judgment of 2010 explained' and is written by Meera Emmanuel, posted 14 hours ago. The article's content is summarized as follows:

**Property to be divided**

- > 1/3 for Sunni Waqf Board,
- > 1/3 for Nirmohi Akhara,
- > 1/3 for Ram Lalla

The article text continues: 'On September 30, 2010, a three-judge Bench of the Allahabad High Court attempted to put an end to a six-decade-old legal dispute over 2.77 acres of land in Ayodhya, Uttar Pradesh. Five'

The article includes a small image showing a group of people, likely the court's bench, in a courtroom setting.

# इसमें उपयोग किए गए सर्वेक्षण:




## ASI TEAM SURVEY

The ASI began with a general survey of the site and layout of trenches on 12 March 2003, which continued until 7 August 2003. It followed the Wheeler method of excavating in a grid, leaving

## the Archaeological 'survey'

Ground Penetrating Radar (GPR) Survey?



A Ground Penetrating Radar Survey, commonly referred to as a GPR survey, is a geophysical locating technique that makes use of radio waves to take images of entities below ground level without digging up the soil. The objects that need their images captured should not be too far into the ground (not more than tens of metres below surface level). Additionally, the further down the area surveyed is, the lower the quality of the image taken would be. There are different ways a GPR system can be set up but it all depends on the purpose of using it.



## GPR SURVEY

A ground penetrating survey (GPR) of the site where the Babri masjid had once stood was to be done. The GPR survey was outsourced by the ASI to Tojo-Vikas International, which conducted it from 30 December 2002 to 17 January 2003 and submitted its report to the director general of the ASI.

# भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बाबरी मस्जिद मामला:

- इस निर्णय के खिलाफ सभी प्रमुख पक्षों ने 2011 में सर्वोच्च न्यायालय में अपीलें (विशेष अनुमति याचिकाएँ) दायर कीं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2011 में उच्च न्यायालय के फैसले को स्थगित कर दिया।
- अंतिम निर्णय 9 नवंबर 2019 को 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनाया गया:
  1. भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई (अध्यक्ष न्यायाधीश)
  2. न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे
  3. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़
  4. न्यायमूर्ति अशोक भूषण
  5. न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर

## बाबरी मस्जिद मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

1. फैजाबाद (अब अयोध्या) में 2.77 एकड़ विवादित पूरी जमीन राम मंदिर के निर्माण के लिए सौंप दी गई।
2. सुन्नी वक्फ़ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ का प्लॉट आवंटित किया गया।
3. 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस कानून का उल्लंघन था।
4. 1949 में मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के नीचे मूर्तियाँ रखने का कार्य अपवित्रता का कृत्य था।
5. केंद्र को 3 महीने में मंदिर निर्माण के लिए योजना तैयार करनी होगी।
6. मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्टी बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए।
7. मुसलमानों ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं प्रस्तुत किए कि वे 1857 से पहले भी अंदरूनी संरचना पर विशेष अधिकार रखते थे।
8. अर्धन संरचना के हिंदू मंदिर होने के मामले में पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट निर्णायक नहीं थी।
9. उच्च न्यायालय द्वारा विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बाँटने का आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं था।
10. हिंदू इसे भगवान राम का जन्मस्थान मानते हैं, और मुसलमान भी विवादित भूमि के बारे में ऐसा ही कहते हैं।
11. मुसलमानों ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किए कि वे विवादित स्थल पर विशेष अधिकार रखते थे, जबकि हिंदुओं ने यह स्थापित किया कि वे बाहरी प्रांगण में मौजूद थे।



In a unanimous verdict, the Supreme Court on Saturday held that the entire disputed land of 2.77 acres in Ayodhya must be handed over for the construction of a Ram temple.

## Key Points of Judgment

**1** Entire disputed land of 2.77 acres in Ayodhya to be handed over for construction of Ram temple

**2** Plot of 5 acres allotted to the Sunni Waqf Board for building a mosque

**3** Destruction of the Babri mosque in 1992 was a violation of law

**9** Three-way bifurcation order by HC legally unsustainable

**4** Act of placing idols beneath central dome of mosque in 1949 was an act of desecration

**6** A board of trustees must be set up for temple construction

**10** Hindus consider this place as birthplace of lord Ram, even Muslims say this about disputed place

**5** Centre needs to formulate scheme for temple construction in 3 months

**7** Muslims have provided no evidence to indicate that they were in exclusive possession of the inner structure prior to 1857

**11** Muslims have not adduced evidence they were in exclusive possession of dispute site, but Hindus established their case that they were in possession of outer courtyard

**8** ASI report not conclusive as to underlying structure was a Hindu temple



# बाबरी मस्जिद मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय क्यों उपयुक्त नहीं था / बाबरी मस्जिद निर्णय: मुसलमान उमे के साथ अन्याय

- 1. नीचे की संरचना मस्जिद नहीं थी:** सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि नीचे की संरचना मस्जिद नहीं थी। लेकिन यह नकारा नहीं जा सकता कि बाबरी मस्जिद वहाँ मौजूद नहीं थी।  
और इस तर्क के अनुसार यह साबित नहीं होता कि किसी एक चीज़ की अनुपस्थिति का मतलब दूसरी चीज़ की उपस्थिति है।  
अर्थात् यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार मस्जिद वहाँ नहीं थी, तो इसका आधार लेकर यह नहीं कहा या माना जा सकता कि वहाँ मंदिर था। इसलिए राम मंदिर के लिए 2.77 एकड़ जमीन का आवंटन अन्यायपूर्ण था।
- 2. ASI यह साबित करने में विफल रहा कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को ध्वस्त किया गया था:** इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए, यह पूरी तरह से अनुचित था कि पूरी विवादित जमीन राम मंदिर को दे दी गई, जबकि ASI इसे साबित करने में असफल रहा।

# Ayodhya verdict: Underlying structure was not an Islamic structure, says SC

**BELIEFS** said the underlying structure below the disputed site at Ayodhya was not an Islamic structure, but the ASI has not established whether temple was demolished to build a mosque.

Delhi  
November 9, 2019


UPDATED: November 9, 2019 11:22 IST



In a unanimous verdict, the Supreme Court on Saturday held that the entire disputed land of 2.77 acres in Ayodhya must be handed over for the construction of a Ram temple.

## Key Points of Judgment

- Entire disputed land of 2.77 acres in Ayodhya to be handed over for construction of Ram temple
- Plot of 5 acres allotted to the Sunni Waqf Board for building a mosque
- Destruction of the Babri mosque in 1992 was a violation of law
- Act of placing idols beneath central dome of mosque in 1949 was an act of desecration
- Centre needs to formulate scheme for temple construction in 3 months
- Muslims have provided no evidence to indicate that they were in exclusive possession of the inner structure prior to 1857
- ASI report not conclusive as to underlying structure was a Hindu temple
- Three-way bifurcation order by HC legally unsustainable
- Hindus consider this place as birthplace of lord Ram, even Muslims say this about disputed place
- Muslims have not adduced evidence they were in exclusive possession of dispute site, but Hindus established their case that they were in possession of outer courtyard



**3. बाबरी मस्जिद का विध्वंस कानून का उल्लंघन:** एक तरफ़ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नीचे की संरचना मस्जिद नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ़ उसने कहा कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस कानून का उल्लंघन था। इसलिए इसके अपने ही फैसलों में विरोधाभास है।

**4. ASI मंदिर को मस्जिद बनाने के लिए ध्वस्त किए जाने को साबित करने में विफल रहा:** सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि ASI यह साबित करने में असफल रहा कि मंदिर को मस्जिद बनाने के लिए ध्वस्त किया गया। इसका मतलब है कि वहाँ कोई मंदिर नहीं था और बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कुछ भी ध्वस्त नहीं किया गया। इसलिए पूरी विवादित जमीन राम मंदिर को देना उपयुक्त नहीं था।

**5. राम मंदिर फैसले के बाद पूर्व CJI रंजन गोगोई का राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकन:** यदि आप देखें कि अब तक कितने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है, तो जवाब केवल 3 हैं। पूर्व CJI रंजन गोगोई के बाद देखें कि कितने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राज्यसभा सदस्य बने—जवाब है कोई नहीं। इसलिए यह स्पष्ट है कि उन्हें राम मंदिर मामले के पक्ष में निर्णय देने के कारण चुना गया था।

<https://www.thehindu.com/news/national/former-cji-ranjan-gogoi-nominated-to-rajya-sabha/article31085274.ece>



# INDIA Babri Masjid demolition was violation of law, says SC

IANIS | Updated: Nov 9, 2019, 13:33 IST



NEW DELHI: The Supreme Court on Saturday held that the demolition of the Babri Masjid on December 6, 1992, was "an egregious violation of the rule of law" and as a remedy, it directed the government to allot a separate 5 acres land for construction of the mosque.

how many Supreme Court Judges nominated as Rajya Sabha member



While the President can nominate any eminent person with expertise in literature, science, art, or social service to the Rajya Sabha (12 seats total), only a few former Supreme Court judges have been nominated, notably Justice Ranganath Misra, Justice Baharul Islam, and most recently, former Chief Justice Ranjan Gogoi, making Gogoi the first to be *nominated* (rather than elected) to the Upper House after retirement.

### Key Points:

- **President's Nomination Power:** The Indian Constitution (Article 80) allows the President to nominate 12 members to the Rajya Sabha for their special knowledge or practical experience in fields like literature, science, art, and social service.
- **Judges as Nominees:** Former judges, including Supreme Court Justices, can be nominated if they fit these criteria, as seen with Justice Ranganath Misra and Justice Baharul Islam.

# Ayodhya verdict: Underlying structure was not an Islamic structure, says SC

**BELIEFS** said the underlying structure below the disputed site at Ayodhya was not an Islamic structure, but the ASI has not established whether temple was demolished to build a mosque.

Delhi  
November 9, 2019  
UPDATED: November 9, 2019 11:22 IST





## Former CJI Ranjan Gogoi nominated to Rajya Sabha

Updated - March 17, 2020 08:27 am IST - New Delhi

The vacancy was created due to the retirement of K.T.S. Tulsi at the end of February

SPECIAL CORRESPONDENT



Former Chief Justice of India Ranjan Gogoi

how many judges of the supreme court appointed as rajya sabha member

AI Overview



En



Listen

At least **three** Supreme Court judges have served in the Rajya Sabha: Justice Baharul Islam (nominated), Chief Justice Ranganath Misra (elected as Congress MP), and Chief Justice Ranjan Gogoi (nominated), though judges must retire or resign before becoming MPs, with Gogoi being the most recent and the first nominated sitting judge to serve, creating controversy over judicial independence.

### Details of the Judges:

- **Justice Baharul Islam:** Was nominated to the Rajya Sabha in 1983 by the Indira Gandhi government after retiring, noted for his role in absolving a Chief Minister in a scandal.
- **Chief Justice Ranganath Misra:** Became a Congress Member of Parliament (MP) in 1998 after his tenure, but was elected, not nominated.
- **Chief Justice Ranjan Gogoi:** Nominated to the Rajya Sabha in 2020 by the President under Article 80 (for contributions to literature, science, art, and social service) after his retirement, sparking debate over judicial independence.

## 6. पूर्व CJI डी. वाई. चंद्रचूड़ का लल्लनटॉप को इंटरव्यू: जब आप पूर्व न्यायाधीश डी. वाई.

चंद्रचूड़ का लल्लनटॉप को दिया गया इंटरव्यू सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कहा—

“अब, जब आप कहते हैं कि यह हिंदुओं ने आंतरिक प्रांगण को अपवित्र किया (तोड़ा/नुकसान पहुँचाया/अपमानित किया), तो सवाल उठता है: क्या मस्जिद का निर्माण ही मूलतः एक अपवित्रता (बुनियादी तोड़/अपमान) का मामला नहीं था? क्या हमें यह सब भूल जाना चाहिए? क्या हमें इतिहास में जो कुछ भी हुआ उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए? अब, जब आप स्वीकार करते हैं कि यह वास्तव में इतिहास में हुआ और हमारे पास इसके लिए पुरातात्विक प्रमाण भी हैं, तो फिर आप इसे कैसे अनदेखा कर सकते हैं? देखिए, जिन आलोचकों की आप बात कर रहे हैं, उनकी इतिहास की दृष्टि चयनात्मक है। वे कुछ कालों के प्रमाणों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर, अपने हिसाब से तुलनात्मक प्रमाण चुनकर एक कहानी गढ़ते हैं।”



इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एक तरफ़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ किसी मंदिर के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं था या ASI रिपोर्ट इसे स्थापित नहीं कर सकती, और दूसरी तरफ़ पूर्व CJI ने कहा: “क्या मस्जिद का निर्माण ही मूलतः एक अपवित्रता (बुनियादी तोड़/अपमान) का मामला नहीं था?”

यह दर्शाता है कि पूर्व न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ पुष्टि पूर्वाग्रह (confirmation bias) का शिकार थे और यह निर्णय तथ्यों और रिपोर्टों पर आधारित नहीं बल्कि भावनाओं पर आधारित था।

लल्लनटॉप वीडियो: पूर्व CJI चंद्रचूड़ का इंटरव्यू

[https://youtu.be/CJLuU0Xr\\_1s?si=AcR0FdL070\\_0enFP](https://youtu.be/CJLuU0Xr_1s?si=AcR0FdL070_0enFP)



## सवाल

“फ़ैसले में तो कहा गया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है (जिससे ये साबित होता हो) कि मस्जिद बनाने के लिए किसी मौजूदा स्ट्रक्चर को ज़बरदस्ती तोड़ा गया हो, क्योंकि पुराने स्ट्रक्चर और मस्जिद के बीच कई शताब्दियों का अंतराल था और उस ढांचे के गिरने की वजह कुछ भी हो सकती थी... आप कह रहे हैं कि पहले भी तोड़-मरोड़ और अपवित्रीकरण हुआ है, लेकिन उसके सबूत कहां हैं?”



“चलिए इसका सामना करते हैं. आखिरकार, जिन्होंने फ़ैसले की आलोचना की है, वो मस्जिद के बुनियादी इतिहास को नज़रअंदाज़ करना चाहते हैं और फिर वो तुलनात्मक इतिहास और उसके चुनिंदा हिस्सों को उठाकर अपने तर्क को सही ठहराने की कोशिश करते हैं.”



“अब, जब आपने कहा कि, वो हिंदू ही थे जिन्होंने अंदर वाले आंगन का डेसेकेशन (तोड़-मरोड़/अपवित्रीकरण) किया... तो फिर सवाल तो ये है कि फंडामेंटल डेसेकेशन (मूलभूत तोड़-मरोड़/अपवित्रीकरण) तो मस्जिद का निर्माण ही था, है न? क्या हम ये सब भूल जाएं? क्या हम इतिहास में जो कुछ हुआ, उसे नज़रअंदाज़ कर दें? अब, जब आप मान लेते हैं कि इतिहास में ऐसा हुआ और हमारे पास उसका आर्किअलॉजिकल एविडेंस (पुरातात्विक सबूत) भी था, तो फिर आप आंखें कैसे बंद कर सकते हैं? देखिए, जिन आलोचकों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो लोग इतिहास का सिलेक्टिव नज़रिया रखते हैं. कुछ हिस्सों के सबूतों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं और फिर अपने हिसाब से तुलनात्मक सबूत चुनकर कहानी बनाते हैं.”

## 7. न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर (पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उड़ीसा उच्च न्यायालय) ने कहा:

यदि आप निर्णय के पैरा 32 C को पढ़ेंगे, तो वहाँ लिखा है कि समिति मार्च 2019 में गठित की गई थी और अगस्त 2019 में उन्होंने (समिति ने) न्यायालय को बताया कि उन्हें कुछ और समय चाहिए। अपील की सुनवाई 6 अगस्त से शुरू होने वाली थी। सुनवाई के दौरान रिपोर्ट प्रस्तुत की गई: कि कुछ पक्ष विवाद सुलझाने की इच्छा रखते थे। मैं वहीं से निर्णय पढ़ रहा हूँ।

इस न्यायालय ने 18 सितंबर के आदेश में यह देखा: कि सुनवाई जारी रहने के दौरान, यदि कोई पक्ष विवाद सुलझाना चाहता है, तो उनके लिए यह खुला था कि वे मध्यस्थों से संपर्क करें और समाधान प्रस्तुत करें। यदि यह न्यायालय के सामने आ गया। अंतिम बहस 16 अक्टूबर को हुई, जिसमें मध्यस्थ समिति की अंतिम रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की गई, जिसमें सुन्नी वक्फ़ बोर्ड कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करके समाधान के लिए तैयार था, लेकिन निर्मोही अखाड़ा और अन्य पक्ष तैयार नहीं थे। इसे मध्यस्थता की विफलता नहीं कहा जा सकता।

उन्होंने आगे कहा: सामान्य नागरिक विवादों में जब पक्ष अदालत को बताते हैं कि हम इस स्तर तक पहुँचे हैं और शायद सभी सहमत नहीं हैं, तो आमतौर पर अदालत कहती है कि चलो देखते हैं असहमति के कौन-कौन से बिंदु हैं और यह देखते हैं कि इन्हें कैसे सुलझाया जा सकता है।

इसका मतलब यह है कि मध्यस्थता और समाधान का अवसर मौजूद था, लेकिन और अवसर नहीं दिए गए।

## 8. निर्णय कुछ व्यक्तियों की गवाही के आधार पर दिया गया:

निर्णय यह दर्शाता है कि इसे उन गवाहों की गवाही के आधार पर दिया गया जो केवल अपनी आस्थाओं के आधार पर बयान दे रहे थे। और उन्हें यह कैसे पता चला कि यह श्री राम जी का जन्मस्थान था, इसका कोई पुष्टिकरणकारी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि बाबरी मस्जिद के निर्माण और इस मामले के बीच लंबा समय अंतराल था। इसलिए उनकी गवाही को ऐसे मामले में प्रासंगिक नहीं माना जा सकता।

लेकिन क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि किसी भी देश की सर्वोच्च अदालत केवल आस्थाओं के आधार पर निर्णय दे सकती है और सबूतों पर नहीं? लेकिन यह घटना भारत में बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई।

## 9. कुछ अंग्रेज़ यात्रियों के यात्रा वृत्तांतः

यात्रा वृत्तांतों की समस्या यह है कि ये बाबरी मस्जिद के निर्माण के समय के नहीं, बल्कि 19वीं सदी के हैं।

यात्रा वृत्तांत यह दिखाते हैं कि यात्रियों (19वीं सदी) के आने के समय वहाँ पूजा (अर्चना) कैसे होती थी, लेकिन बाबरी मस्जिद के निर्माण के समय या उससे पहले नहीं। इसलिए सवाल उठता है कि यह गवाह कैसे निर्णय का आधार बन सकता है?

न्यायमूर्ति मुरलीधर का इंटरव्यू: 4 मिनट 06 सेकंड से

[https://youtu.be/CJLuU0Xr\\_1s?si=AcR0FdL070\\_0enFP](https://youtu.be/CJLuU0Xr_1s?si=AcR0FdL070_0enFP)



Question:- Can that place, which you described as birthplace according to your belief, be 10-15 hands away on either side of the middle dome place?

Answer:-

No. The place where the order is placed, authentic place and the whole Hindu community believes in that very place. There is no scope of any doubt. There cannot be a distance of even two-four feet find the location of this place.

The basis of this belief is that Hindus have been having Darshan of this place as

Russian dominated trade group established after the collapse of the Soviet Union. Moscow was further irritated by the Orange Revolution of 2004 which saw the Ukrainian populist Viktor Yushchenko installed as president instead of the pro-Russian Viktor Yanukovich. Moreover Ukraine also continued to increase its cooperation with NATO, deploying the third largest contingent of troops to Iraq in 2004, as well as dedicating peacekeepers to NATO missions such as the ISAF force in Afghanistan and KFOR in Kosovo.

Ukraine rather than 'on the beach'. The Prime Minister of the Donetsk People's Republic stated that 3000 to 4000 Russian troops had been fighting in separatist ranks and that most of them had not returned to Russia, having continued to fight in Ukraine.

The 76th Guards Air Assault Division entered Ukrainian territory in August and engaged in a skirmish suffering 80 dead. The Ukrainian Defense Ministry said they had destroyed three of the units tanks and seized two armored vehicles. The Russian government denied the skirmish took place. After the denial Vladimir Putin awarded the Division one of Russia's highest awards.

The Judgment refers to travelogues by Joseph Tiefenthaler, Robert Montgomery Martin, P Carnegie, Edward Thornton and William Finch among others, which were considered as exhibits in arriving at Conclusion in the case

quarters was -

in Luhansk,

aggression

# बाबरी मस्जिद क्यों ध्वस्त की गई?

इसका उत्तर यह है कि यह मुसलमानों की सहनशीलता और ईमान (इमान) की परीक्षा लेने के लिए था। कि मुसलमान बाबरी मस्जिद के विध्वंस को स्वीकार करेंगे या इसका विरोध करेंगे और आवाज उठाएंगे। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया (BJP, RSS आदि) उनके अनुसार यह केवल एक प्रदर्शनी (demo) थी ताकि आगे और मस्जिदों को ध्वस्त करने की योजना बनाई जा सके। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि कई मस्जिदें ध्वस्त की गईं और यह सिलसिला अब तक बंद नहीं हुआ और जारी है।

बाबरी मस्जिद मामले का परिणाम: बाबरी मस्जिद मामले के निर्णय के बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ जिसमें किसी भी पुरानी मस्जिद को मंदिर के रूप में दावा किया जाने लगा। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

1. संभल शाही मस्जिद
2. मथुरा शाही ईदगाह
3. ज्ञानवापी मस्जिद आदि

## संभल हिंसा:

“संभल हिंसा से पहले यह रोज़ की खबर बन गई थी कि देश के किसी न किसी हिस्से में हर दिन कोई न कोई मस्जिद शहीद की जा रही है। लेकिन संभल की घटना के बाद इस पर एक तरह का विराम लग गया। क्योंकि BJP, RSS, VHP, बजरंग दल आदि ने देख लिया कि मुसलमान भी हिंसा में शामिल हो सकते हैं, या वे भी लड़ सकते हैं।”  
हालाँकि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और यह अस्वीकार्य है।

“लेकिन अब BJP और RSS ने मस्जिदों को गिराने का एक नया तरीका खोज लिया है, जिसे वे बहुत जल्द अपनाने की संभावना रखते हैं। यह तरीका वक्फ़ बिल के ज़रिए है। इसके तहत जो मस्जिदें या मदरसे वक्फ़ के अंतर्गत आते हैं और पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करा पाते, उन्हें भविष्य में सरकार द्वारा गिराया जा सकता है—वह भी कानून के दायरे में। अब तक मस्जिदें अवैध तरीकों से गिराई जाती थीं, लेकिन संभल हिंसा के बाद—जब BJP और RSS को यह एहसास हुआ कि मुसलमान चुप नहीं रहेंगे—उन्होंने मस्जिदों को गिराने का एक नया तरीका तैयार किया है। इस बार यह क़ानूनी रूप से उचित ठहराया जाएगा, या यूँ कहें कि इसे क़ानूनी आवरण दिया जाएगा।”

**वक्फ़ बिल:** इसलिए मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि BJP वक्फ़ बिल क्यों लेकर आई है—ताकि मस्जिदों और मदरसों को शहीद करना क़ानूनी बना दिया जाए और इसे क़ानून की आड़ या छाया में किया जा सके।

डॉ. इसरार अहमद (इस्लामी विद्वान) के वीडियो देखें, जिन्होंने कई साल पहले ही उनके एजेंडे को उजागर कर दिया था।

<https://youtu.be/B8Bp5fKK1A?si=UbWcvfb5RsWcaiPs>

<https://youtube.com/shorts/MJk-04r4URs?si=AoaHN7Va8nHarEV0>

इस हफ्ते की शायरी – उमा के लिए:

हक़ है इस्लाम — तुम इसे लोगों से कहते क्यों नहीं?

हक़ है इस्लाम — तुम इसे लोगों से कहते क्यों नहीं?

इस दीन के लिए मशक्कत सहते क्यों नहीं?

अगर चाहते हो नूर-ए-तौहीद का इतमाम,

अगर चाहते हो नूर-ए-तौहीद का इतमाम,

तो नबी-ए-पाक ﷺ की तरह तुम रहते क्यों नहीं?

अधिवक्ता आमिर खान

(भारतीय सर्वोच्च न्यायालय)

इस्लाम सच और सही है। इसलिए हमें, मुसलमानों को, इसे फैलाना और प्रचारित करना चाहिए। हमें इस राह में आने वाली सभी कठिनाइयों को स्वीकार करना होगा और अपने इमान पर कायम रहना होगा। और अगर हम चाहते हैं कि सभी लोग इस्लाम के बारे में जानें, तो हमें अपनी ज़िंदगी उसी तरह खर्च करनी होगी जैसे हमारे नबी मुहम्मद ﷺ ने किया। अधिवक्ता आमिर खान

(भारतीय सर्वोच्च न्यायालय)